

## विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, रायपुर (शहर)

सी-5 विद्युत मण्डल परिसर, गुढ़ियारी, रायपुर (छ.ग.) 492009

Email Id :- [ecgrf.raipur@cspc.co.in](mailto:ecgrf.raipur@cspc.co.in), Phone No. 0771-2593112

क्रमांक / विउशिनिफोरा / रा.श. / 2026 / 18

रायपुर, दिनांक 13 APR 2026

प्रति,

1. श्री दिनेश कुमार देवांगन,  
पुष्प ब्रायलर हाउस, शहीद भगत सिंह चौक,  
जलगृह मार्ग टिकरापारा, जिला रायपुर (छ.ग.) 492001
2. कार्यपालन अभियंता नगर संभाग (पश्चिम),  
छ.स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमि., रायपुर (छ.ग.)

विषय :- प्रकरण क्रमांक / 10 / रायपुर / 2026 पर पारित आदेश ।

=0000=

विषयान्तर्गत प्रकरण पर विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम रायपुर (शहर) द्वारा पारित आदेश की प्रति संलग्न कर प्रेषित है ।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार ।



(एम.डी. बड़गैया)

अध्यक्ष

विद्युत उपभोक्ता शिकायत  
निवारण फोरम, रायपुर (शहर)

प्रतिलिपि :- अधीक्षण अभियंता (नगर) वृत्त-एक, छ.स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमि.,  
रायपुर (छ.ग.)

**विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, रायपुर (शहर)**  
**सी-5 विद्युत मण्डल परिसर, गुड़ियारी, रायपुर**

**विषय:-** विद्युत कंपनी द्वारा प्रतिमाह नियमित रीडिंग न कर, उपभोक्ता को योजनाबद्ध तरीके से लूटने के संबंध में ।

प्रकरण क्रमांक / 10 / रायपुर / 2026

श्री दिनेश कुमार देवांगन,

....आवेदक

पुष्प ब्रायलर हाउस, शहीद भगत सिंह चौक,

जलगृह मार्ग टिकरापारा, जिला रायपुर (छ.ग.) 492001

मो.नं. 81037-93838

बी.पी.नं. — 1004301679, 1002669661

**विरुद्ध**

कार्यपालन अभियंता नगर संभाग (पश्चिम),

....उत्तरवादी

छ.स्टे.पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमि., रायपुर (छ.ग.)

**निर्णय**

**(दिनांक 13 / 04 / 2026 को घोषित)**

1. आवेदक श्री दिनेश कुमार देवांगन द्वारा प्रस्तुत मूल शिकायत दिनांक 18.03.2026 यह है कि —
  - (i) यह कि मैंने छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी कि शिकायत छत्तीसगढ़ नियामक आयोग में दिनांक 28.07.2025 को की थी ।
  - (ii) महोदय जिस पर नियामक आयोग द्वारा कार्यवाही करते हुए दिनांक 04.08.2025 की कार्यपालक निदेशक (संचा. एवं संधा.), छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमि., डंगनिया, रायपुर को पत्र लिखकर आवश्यक कार्यवाही कर कृत कार्यवाही से संबंधित एवं आयोग को शीघ्र अवगत कराने का निर्देश दिया गया था ।
  - (iii) महोदय, यह कि उक्त आदेश पर विद्युत कंपनी द्वारा शायद किसी भी प्रकार से कोई भी कार्यवाही नहीं की गयी । क्योंकि विद्युत कंपनी से मुझे आज दिनांक तक कोई भी पत्र प्राप्त नहीं हुआ ।
  - (iv) महोदय, शिकायत कि पुनवृत्ति न हो इस कारण दिनांक 28.07.2025 कि शिकायत को सम्मिलित करने का कष्ट करेंगे ।
  - (v) महोदय, उक्त शिकायत में मैंने शिकायत कि थी कि विद्युत कंपनी द्वारा उपभोक्ताओं को योजनाबद्ध तरीके से लूटा जा रहा है तथा विद्युत मीटरों का



जानबूझकर प्रतिमाह रीडिंग न करके किसी एक मीटर का रीडिंग जानबूझकर नहीं किया जा रहा है तथा दूसरे माह, दूसरे मीटर का रीडिंग नहीं किया जा रहा है ।

(vi) महोदय, इस प्रकार दो माह का एक साथ रीडिंग करने से विद्युत खपत अधिक आ रही है । जिससे विद्युत देयक अधिक आ रहा है साथ ही शासन से प्राप्त छूट भी प्राप्त नहीं हो रहा है ।

अनुतोष :- महोदय दिनांक 28.07.2025 के आवेदन में मांग कि गयी अनुतोष प्रदान करने की असीम कृपा करेंगे ।

2. यह कि अनावेदक प्रतिनिधि सहायक अभियंता टिकरापारा जोन, छ.स्टे.पॉवर डिस्ट्री.कंपनी लिमि., रायपुर ने अपने जवाबदावा पत्र क्रमांक 725 दिनांक 02.04.2026 को सूचित किया है कि :-

(i) बिन्दु क्रमांक 1.1 से बिन्दु क्रमांक 1.3 तक का जवाब संदर्भित पत्र क्रमांक 3 में जवाब प्रस्तुत है ।

(ii) बिन्दु क्रमांक 2.1 जवाब देने योग्य नहीं ।

(iii) बिन्दु क्रमांक 2.2 का विवरण - उपभोक्ता के परिसर में स्थापित विद्युत कनेक्शन बी.पी.क्रमांक 1004301679 से संबंधित मीटर का नियमित रीडिंग ली गई है - (अनुलग्नक-2 में माह जनवरी 2025 से जुलाई 2025 तक का स्पॉट बिलिंग के दौरान ली गई मीटर की फोटो संलग्न है)

(iv) बिन्दु क्रमांक 2.3 से 2.7 तक का विवरण - माह 04/2025 को पुराने मीटर का FR 6232 की बिलिंग की जा चुकी थी, Mass Meter Replacement के दौरान पुराने मीटर के बदले गये Smart Meter लगाया गया जिसके फलस्वरूप माह 05/2025 की बिलिंग शून्य (0) यूनिट की बिलिंग की गई एवं माह 06/25 को 424 यूनिट की बिलिंग में रीडिंग के आधार पर की गई थी । उक्त माह 05/25 दोनों में 212 यूनिट खपत का स्लैब रिबेट देते हुए बिल का सुधार किया जा चुका है ।

(v) बिन्दु क्रमांक 2.8 से 2.14 तक का विवरण बी.पी.क्रमांक 1002669661 की रीडिंग परिसर में स्थापित अन्य कनेक्शनों के साथ रीडर के द्वारा किया गया था परन्तु उक्त बी.पी.नं. से संयुक्त मीटर Mass Meter Replacement के दौरान बदले गए थे जिसमें मीटर रीडर द्वारा खपत (यूनिट) पंच करने पर दो गुणा से अधिक होने के कारण कार्यालय में जाँच के पश्चात् ही बिलिंग की जाती है, इस कारण उपभोक्ता को इस कनेक्शन का कार्यालय में जाँच के उपरांत जारी हुआ । परिसर के अन्य बिल उपभोक्ता को स्पॉट बिलिंग के दौरान ही दे दिया गया था ।



(vi) बिन्दु क्रमांक 2.5 जवाब देने योग्य नहीं है ।

(vii) अनुतोष 3.1 से 3.9 तक का विवरण उपभोक्ता को प्रतिमाह रीडिंग के आधार पर बिल जारी किया जा रहा है इस कारण उनके द्वारा अनुतोष की मांग निराधार है ।

**फोरम के समक्ष उभयपक्षों द्वारा रखे गये तथ्यों का विवरण :-** दिनांक 08.04.2026 को फोरम के समक्ष उभयपक्षों द्वारा उपस्थित होकर अपना-अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया, जो कि निम्नानुसार है :-

3. यह कि शहीद भगत सिंह चौक, जल गृह मार्ग टिकरापारा, रायपुर स्थित आवेदक के परिसर में ठाकुर प्रसाद देवांगन के नाम पर घरेलू उपयोग हेतु 1000 वाट भार का स्थायी विद्युत कनेक्शन बी.पी.क्रमांक 1004301679 के माध्यम से उत्तरवादी द्वारा प्रदाय किया गया है । आवेदक के अनुसार उसके परिसर स्थित इस विद्युत कनेक्शन की बिलिंग माह मई 2025 में उत्तरवादी द्वारा न किया जाकर माह जून 2025 में एक साथ दो माह की एकमुश्त खपत 424 यूनिट का देयक जारी कर दिया गया । आवेदक के अनुसार दो माह की एकमुश्त खपत के लिए बिलिंग की उच्च दर लागू होने के कारण देयक राशि भी अधिक हो जाती है एवं खपत के, शासन की हाफ बिजली बिल योजना की निर्धारित खपत सीमा, 400 यूनिट से अधिक होने के कारण, इस योजना का लाभ भी नहीं मिल पाता है । आवेदक के अनुसार उसके परिसर स्थित एक अन्य कनेक्शन बी.पी.क्रमांक 1002669661 की रीडिंग माह मई 2025 में तो की गयी है लेकिन माह जून 2025 में उक्त मीटर की रीडिंग उत्तरवादी द्वारा नहीं की गयी । इस संबंध में उत्तरवादी से शिकायत किए जाने पर माह जून 2025 का, बी.पी.क्रमांक 1002669661 का, वास्तविक खपत का देयक जारी किया गया । शिकायत न किए जाने की स्थिति में उत्तरवादी द्वारा माह जुलाई 2025 में पुनः दो माह की एकमुश्त खपत का देयक जारी कर दिया जाता जिससे मुझे आर्थिक एवं मानसिक क्षति पहुंचती ।

आवेदक के अनुसार एक ही परिसर में स्थापित विद्युत मीटरों में से एक की रीडिंग करने एवं साथ ही स्थापित दूसरे मीटर की रीडिंग उत्तरवादी द्वारा जानबूझकर न करते हुए उसे आर्थिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है यद्यपि आवेदक द्वारा यह भी लेख किया गया है कि इसी अवधि में उसके परिसर स्थित दो अन्य विद्युत कनेक्शनों बी.पी.क्रमांक 1002278248 एवं बी.पी.क्रमांक 1000138263 के वास्तविक खपत का देयक उत्तरवादी द्वारा नियमित रूप से प्रेषित किया जाता रहा है । अपनी इस शिकायत के संबंध में आवेदक द्वारा माननीय छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग रायपुर को पत्र दिनांक 28.07.2025 के माध्यम से सूचित किया गया था



जिसे माननीय आयोग द्वारा उत्तरवादी को प्रेषित करते हुए शिकायत का निराकरण करने हेतु निर्देशित किया गया था लेकिन आज दिनांक तक उसकी इस समस्या के निराकरण के बारे में उत्तरवादी द्वारा किसी प्रकार की सूचना नहीं दी गयी है ।

4. यह कि अपने परिसर स्थित 02 नग विद्युत कनेक्शनों के मीटर की रीडिंग प्रतिमाह न करते हुए एकमुश्त खपत का एवं तदनुसार अधिक राशि का देयक प्रेषित किए जाने की उत्तरवादी की कार्यवाही से असंतुष्ट हो कर एवं एकमुश्त खपत के देयकों में दर्ज खपत को दो माह में बांटकर, शासन की हाफ बिजली बिल योजना का लाभ दिलाए जाते हुए संशोधित देयक प्रदान किए जाने एवं उत्तरवादी की कार्यवाही से होने वाली आर्थिक, मानसिक एवं शारीरिक क्षति का मुआवजा प्रदान किए जाने हेतु उत्तरवादी को निर्देशित किए जाने के निवेदन के साथ आवेदक द्वारा प्रकरण विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम के समक्ष प्रस्तुत किया गया है ।

5. यह कि उत्तरवादी द्वारा पत्र क्रमांक 725 दिनांक 02.04.2026 के माध्यम से प्रेषित अपने जवाबदावा में लेख किया गया है कि आवेदक के परिसर स्थित विद्युत कनेक्शन बी.पी.क्रमांक 1004301679 के मीटर की रीडिंग प्रतिमाह दर्ज की जाती रही है । माह अप्रैल 2025 में आवेदक के परिसर स्थित स्मार्ट मीटर की स्थापना को सैप सिस्टम में दर्ज किया गया जिसके कारण माह मई 2025 में आवेदक के उक्त कनेक्शन की बिलिंग शून्य खपत के अनुसार की गयी एवं माह जून 2025 में मीटर में दर्ज वास्तविक खपत 424 यूनिट के अनुसार बिलिंग की गयी । माह जून 2025 में दर्ज खपत 424 यूनिट को दो माहों में बराबर बांटकर 212 यूनिट प्रतिमाह के अनुसार स्लैब रिबेट देते हुए आवेदक के माह दिसंबर 2025 के देयक में संशोधन किया जा चुका है ।

आवेदक के एक अन्य विद्युत कनेक्शन बी.पी.क्रमांक 1002669661 के मीटर की रीडिंग भी मीटर रीडर द्वारा अन्य मीटरों की रीडिंग के साथ ही की गयी थी लेकिन मीटर रीडर द्वारा दर्ज की गयी खपत के, उक्त कनेक्शन की औसत खपत से दो गुना से अधिक होने के कारण सिस्टम द्वारा स्वतः देयक जारी नहीं किया जा सका था । कार्यालय द्वारा नियमानुसार देयक की जांच के पश्चात ही आवेदक को देयक जारी किया गया ।

उत्तरवादी के अनुसार आवेदक के परिसर स्थित विद्युत कनेक्शनों की रीडिंग प्रतिमाह किया जाकर नियमित देयक प्रेषित किया जा रहा है जो कि आवेदक द्वारा भुगतान योग्य है ।



6. प्रस्तुत प्रकरण के समुचित निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न यह है कि -

अ. क्या दो माह की एकमुश्त खपत का देयक जारी होने की स्थिति में उत्तरवादी द्वारा स्लैब की रियायत देते हुए की गयी देयक में संशोधन की कार्यवाही नियमानुसार है ।

ब. क्या आवेदक छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (विद्युत वितरण निष्पादन हेतु मानक) विनियम के अनुसार किसी विलंब के लिए उत्तरवादी से क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने का पात्र है ।

#### विवेचना एवं निष्कर्ष

7. यह कि दिनांक 08.04.2026 को फोरम के समक्ष सुनवाई के दौरान आवेदक उपस्थित नहीं हुए यद्यपि फोरम को प्रेषित पत्र दिनांक 08.04.2026 के माध्यम से लेख किया गया कि "प्रकरण का गुण दोष के आधार पर निपटारा किया जाये "। फोरम के समक्ष सुनवाई के दौरान उपस्थित उत्तरवादी द्वारा बताया गया कि आवेदक के माह जून 2025 के एक मुश्त खपत के देयक में आवश्यक स्लैब रिबेट देते हुए आवेदक की शिकायत का निराकरण कर दिया गया है ।

8. यह कि मुख्य अभियंता (राजस्व) छ.स्टे.पा.डिस्ट्री.कं.मर्या., रायपुर द्वारा अपने पत्र क्रमांक 504 दिनांक 17.09.2020 के माध्यम से अपने अधीनस्थों को निर्देशित किया गया है कि - "अतः ऐसे प्रकरणों में जहां संग्रहित मीटर रीडिंग के आधार पर बिल जारी हुए हैं अथवा जारी होने हैं, उनका सर्वप्रथम अपने स्तर पर विस्तृत विश्लेषण किया जाये । ऐसे प्रकरणों में कितने माहों से मीटर की खपत दर्ज नहीं हुई है अथवा औसत खपत के बिल जारी किए गए हैं का विश्लेषण अत्यावश्यक है क्योंकि जहां-जहां विभागीय त्रुटि के कारण यूनिट संग्रहण पाया जाता है वहां-वहां देयक जारी करने के पूर्व यथोचित स्लैब की छूट देते हुए किश्त की सुविधा दी जाये तत्पश्चात बिल जारी किए जाए ।"

उपरोक्तानुसार आवेदक को प्रेषित दो माह के संग्रहित खपत के देयक में स्लैब की छूट देते हुए देयक को संशोधित किये जाने की उत्तरवादी की कार्यवाही सही एवं नियमानुसार है ।

9. यह कि आवेदक द्वारा अपने पत्र में यह लेख किया गया है कि उत्तरवादी द्वारा दो माह की एकत्रित खपत का देयक प्रेषित किए जाने से उसे शासन की हाफ बिजली बिल योजना का लाभ नहीं मिल पाया है । इस संबंध में उत्तरवादी द्वारा बताया गया कि माह जून 2025 में आवेदक को प्रेषित एकमुश्त खपत के देयक में स्लैब की छूट देते हुए सुधार किए जाने पर सिस्टम द्वारा स्वतः ही हाफ बिजली बिल योजना का लाभ आवेदक को उसके देयक में प्रदान कर दिया गया है । आवेदक के उक्त अवधि के



बिल विवरण से भी स्पष्ट है कि प्रतिमाह आवेदक के देयक में शासन की हाफ बिजली बिल योजना का लाभ प्राप्त होता रहा है। उत्तरवादी द्वारा प्रस्तुत बिलिंग दस्तावेजों से माह मई 2025 के देयक में राशि रु. 464.33 का लाभ एवं माह जून 2025 के देयक में राशि रु. 443.52 का लाभ बिजली बिल हाफ योजना के अंतर्गत प्रदान किया जाना स्पष्ट है।

10. यह कि फोरम द्वारा उत्तरवादी से यह पूछे जाने पर कि आवेदक के माह जून 2025 के एकमुश्त खपत के देयक में सुधार माह दिसंबर 2025 के देयक में अत्यंत विलंब के साथ किया जाना क्या छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (उपभोक्ता परिवेदना निवारण) विनियम में निर्धारित समयसीमा का उल्लंघन नहीं है, उत्तरवादी द्वारा बताया गया कि माह जून 2025 में आवेदक को दो माह की एकमुश्त खपत का देयक प्राप्त होने के बाद आवेदक द्वारा विभागीय कार्यालय में इस संबंध में कोई सूचना नहीं दी गयी और न ही देयक में सुधार का कोई आवेदन प्रस्तुत किया गया। आवेदक को त्रुटिपूर्ण देयक जारी होने का तथ्य संज्ञान में नहीं होने के कारण देयक में सुधार नहीं किया जा सका। आवेदक द्वारा अपनी शिकायत सीधे माननीय छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग के समक्ष प्रस्तुत की गयी थी जिसके बाद माननीय आयोग द्वारा आवेदक की उक्त शिकायत को विभाग के उच्च कार्यालय को अग्रेषित किया गया। विभागीय उच्च कार्यालय से आवेदक की शिकायत प्राप्त होने पर बिना किसी विलंब के आवेदक के देयक में स्लैब रिबेट देते हुए छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (उपभोक्ता परिवेदना निवारण) विनियम में निर्धारित समयसीमा के अंतर्गत सुधार की कार्यवाही की गयी है।

प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजों से स्पष्ट होता है कि माह जून 2025 में एकत्रित खपत का देयक प्राप्त होने से लेकर आज दिनांक तक अपने देयक में संशोधन किए जाने हेतु आवेदक द्वारा उत्तरवादी के किसी भी कार्यालय से संपर्क अथवा पत्राचार नहीं किया गया। प्रतीत होता है कि स्वयं आवेदक अपने देयक को उत्तरवादी से संशोधित कराए जाने के संबंध में गंभीर नहीं था। उत्तरवादी द्वारा दो माह की एकमुश्त खपत का देयक प्रेषित किए जाने का तथ्य उत्तरवादी के किसी भी कार्यालय के संज्ञान में नहीं लाए जाने की स्थिति में देयक सुधार में हुए विलंब के लिए स्वयं आवेदक को जिम्मेदार माना जाना उचित होगा।

11. यह कि आवेदक द्वारा अपने आवेदन में उत्तरवादी द्वारा की गयी कार्यवाही से उसे पहुंची आर्थिक, मानसिक एवं शारीरिक क्षति के लिए रु. 500000/- की क्षतिपूर्ति की मांग की गयी है यद्यपि यह उल्लेख नहीं किया गया है कि उत्तरवादी द्वारा



छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (उपभोक्ता परिवेदना निवारण) विनियम की किस कंडिका का उल्लंघन किया गया है जिसके लिए क्षतिपूर्ति देय है। अवगत हो कि छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (उपभोक्ता परिवेदना निवारण) विनियम 2023 की कंडिका 8.27 यथा - "After the completion of the proceedings, the Forum shall issue an order to the distribution licensee directing it to do one or more of the following in a time bound manner, namely-

(iii) to pay such compensation, to the person affected, as determined by the Commission, in case the licensee fails to meet the Standard of Performance as specified by the Commission."

के अनुसार फोरम, माननीय नियामक आयोग द्वारा तय की गयी क्षतिपूर्ति राशि के अतिरिक्त स्वयं के विवेक से किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति राशि अथवा मुआवजा दिए जाने का आदेश जारी करने हेतु अधिकृत नहीं है।

12. यह कि आवेदक के एकमुश्त खपत के देयक में नियमानुसार स्लैब रिबेट देते हुए संशोधन किए जाने एवं आवेदक के देयक में शासन की हाफ बिजली बिल योजना की छूट दिए जाने की उत्तरवादी की कार्यवाही को सही एवं नियमानुसार मानते हुए फोरम, उत्तरवादी से क्षतिपूर्ति राशि दिलाए जाने के आवेदक के आवेदन को खारिज करता है।

13. आदेश पारित।

14. प्रकरण निराकृत।

15. यदि आवेदक/उपभोक्ता इस आदेश से संतुष्ट न हो तो 45 दिन के अंदर विद्युत लोकपाल में अपील कर सकता है।

हमारे द्वारा बोलकर टंकित कराया गया।

निर्णय घोषित किया गया

(निमिष परमार)  
सदस्य  
विद्युत उपभोक्ता शिकायत  
निवारण फोरम रायपुर (शहर)



(एम.डी. बड़गैया)  
अध्यक्ष  
विद्युत उपभोक्ता शिकायत  
निवारण फोरम रायपुर (शहर)